

# कायालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक 762

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
राँची ।

रोवागे

प्राचार्य,  
विकास पब्लिक स्कुल, विकास नगर,  
पुन्दाग, राँची ।  
युडैस्कोड- 20140123302

राँची, दिनांक 04/03/2021

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

गहाशय,

आपके द्वारा दिनांक 06.05.2018 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ हुए पत्रावार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर, विकास पब्लिक स्कुल, विकास नगर, पुन्दाग, राँची को शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधिन हो:-

7. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है ।
8. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा ।
9. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कगजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
10. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के अपबंधों के तहत प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा ।
11. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उस के माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।
12. विद्यालय किसी बालक का उस की आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे रिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा ।
7. विद्यालय निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-

- I- प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
- II- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा,
- III- प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं कि जायेगी,
- IV- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,
- V- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

VI— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएं के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतमअहर्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे,

VII— अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,

VIII— अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

10. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

11. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा ।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई सुविधाएं निम्नानुसार है :-

I—विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 87120 वर्गफिट

II—कुलनिर्भित क्षेत्र :- 10000 वर्गफिट

III—क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल :- 77120 वर्गफिट

IV—कक्षाओं की संख्या :- 22 (बाईस)

V—प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडारगार के लिए कक्षा : - 5

VI—बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :- हाँ ।

VII—पेयजल सुविधा :- हाँ ।

VIII—बाधा रहित पहुँच :- हाँ ।

IX— अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल कुद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता:- हाँ ।

17. विद्यालय के परिसर के भीतर या उस के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी ।

18. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

19. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा ।

20. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

21. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिलाशिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाये ।

22. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जायेगा । सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा ।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 068 है । कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याको का उल्लेख किया जाये ।

*[Signature]*  
जिला शिक्षा अधीक्षक/ अधीक्षक  
02/03/2024 राँची